उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

हेड ऑफिस: उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ–226010 । ईमेल: ho@barodauprrb.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय, नरई बांध, गृहस्त प्लाजा के पास, मऊ –275101

सार्वजनिक नीलामी
25.03.2026

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4)
(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या

नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रों) / गारंटीदाता (ओं) / बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद् द्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओ) को सूचना दी जाती है है कि निम्नवर्णित अचल समपत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक प्रभारित पड़ी है, जिसका रचानात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को ''जैसा है जहां है, जैसा है जो है'' और ''जो है वही है'' आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओं) को एतदद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग संपत्ति जिसका विवरण नीचे वर्णित है, विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें। प्रधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए खुली बोली आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/ बोलीदाताओं को दिनांक 25.03.2026 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय नरई बांध, गृहस्त प्लाजा के पास मऊ– 275101 में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

क्र. स.	ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण/ मालिक/बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित मूल्य (रू0) धरोहर राशि (रू0)
शाखा: अमिला, खाता नं0: 8312060000189					
1.	उधारकर्ताः 1. श्री अभिषेक राय पुत्र स्व. श्री मनोज कुमार राय, 2. श्रीमती शशिबाला राय पत्नी स्व. श्री मनोज कुमार राय जमानकर्ताः 1. श्री नवीन कुमार राय पुत्र स्व. श्री भूपेन्द्र राय, 2. श्रीमती कुसुम राय पत्नी श्री अजेन्द्र राय सभी निवासीः अमिला कोट, अमिला, मउ – 275301	श्री अभिषेक राय पुत्र स्व. श्री मनोज कुमार राय के नाम पर संपत्ति, क्षेत्रफल: 181.60 वर्ग मीटर, गाटा नं.: 429, खाता नं.: 1910, गिफ्ट डीड नं.: 3005 दिनांक 01/10/2022 स्थित अमिला कोट, अमिला, तहसील – घोसी चौहद्दी– उत्तरः अभिषेक राय का मकान, दक्षिणः बिपिन राय का मकान, पूर्वः 3 मीटर चौडा रोड, पश्चिमः सिद्धांथ राय की भूमि	06.10.2025 31.12.2025 सांकेतिक कब्जा	Rs. 11,88,430.77 दिनांक 30.09.2025 + उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत, शुल्क एवं खर्चे	56,00,000/- 5,60,000/-

ई–नीलामी की तिथि व समय – 25.03.2026, प्रातः 11:00   **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि – 24.03.2026, सायं 04:00 बजे तक**

बिक्री के नियम एवं शर्तें:– 1. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगी और नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली राशि के ऊपर परस्पर बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति होगी। 2. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य के नीचे दी गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले रुपये की राशि 25,000/– के गुणकों में अपनी बोलियां बढ़ाएंगे। 3. अंतिम 5 मिनट में बोली प्राप्त होने की स्थिति में 5 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। बोलीदात्ताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाएगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के पांच मिनट की समाप्ति के बाद कोई उच्च बोली नहीं दी जाती है, तो नीलामी बंद कर दी जाएगी। 4. इच्छुक बोलीदाताओं को मऊ में देय प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बोली राशि/ आरक्षित मूल्य की 10ः धरोहर राशि जमा करनी होगी। 5. सफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी और असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। 6. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25ः (पच्चीस प्रतिशत) जमा करना होगा, जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर, उसी दिन या अगले कार्य दिवस को जमा करनी होगी और शेष राशि का भुगतान नीलामी दिनांक से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा तभी बिक्री की पुष्टि मानी जाएगी। 7. निर्धारित 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता को जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 8. अगले कार्य दिवस पर बोली राशि का 25ः (ईएमडी घटाकर) भुगतान में चूक करने पर बिना किसी सूचना के बिक्री को रद्द कर दिया जायेगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और कोई अन्य धनराशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी। 9. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा। 10. समस्त विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी करेगा। खरीदार को बिक्री प्रमाण पत्र, पंजीकरण शुल्क, सरकार / किसी भी प्राधिकरण को देय सभी वैधानिक देय राशि, कर, जीएसटी और दरों और आउटगोइंग, संपत्तियों से संबंधित मौजूदा और भविष्य दोनों सहित स्टांप शुल्क वहन करना होगा। 11. बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/ बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा। 12. बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी / डीआरएटी / उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थगन / निषेधाज्ञा / प्रतिबंध आदेश होने पर बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 13. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है 114. प्राधिकृत अधिकारी / बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बुलाए बिना किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। 15. प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों / देयताओं (यदि कोई हो) के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। बिड जमा करने के बाद किसी भी प्रकार की संपत्ति के बिक्री शुल्क / संपत्ति पर भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 16. बिक्री सरफेसी अधिनियम 2002 में निर्धारित शर्तों / नियमों / प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन है। अधिक जानकारी के लिए कोई संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित व्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनके वसूल किया जाएगा।

दिनांक 21.02.2026 स्थान – मऊ   प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक